

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 56/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोतीपुरी पुत्र श्री मांगुपुरी		1. चैनाराम पुत्र श्री मांगीलाल
2. श्रवणपुरी पुत्र श्री मांगुपुरी		2. किशनाराम पुत्र श्री मांगीलाल
3. विद्यादेवी पत्नी श्री मांगुपुरी		3. माडीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल
जातियान स्वामी निवासीगण		4. गवरीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल
होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा		जातियान राईका निवासीगण
जिला जोधपुर		होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा
		5. कंवराराम पुत्र श्री रामाराम
		6. श्रीमति मीरादेवी पत्नी कंवराराम
		जातियान विश्नोई निवासीगण
		रावर तहसील बिलाड़ा जिला
		जोधपुर
		7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
		बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 04.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे दिलायी गयी वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा